


106

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / एक / 2017 जिला विदिशा
क्र. 1 / निगरानी / विदिशा / मू-27 / 2017 / 2324

श्री. के.ए. सिंह लक्ष्मी (अभिजात)
द्वारा आज दि. 21-7-17 को
प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. धीरजसिंह, 2. दौलतसिंह 3. दीपकसिंह पुत्रगण श्री सनमानसिंह,
4. इन्द्रराज पुत्र श्री दौलतसिंह,
5. बसंत पुत्र श्री दीपसिंह निवासीगण ककरुआ, गुलाबगंज, विदिशा (म0प्र0)

— आवेदकगण

बनाम

राजकुमारी पुत्री श्री सनमानसिंह पत्नी प्रतापसिंह दांगी, निवासी - मरखेडा, नटेरन, विदिशा म0प्र0

— अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1995 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार गुलाबगंज के प्रकरण क्रमांक 21/ए-27/2016-17 आदेश दिनांक 17.07.2017 को पारित।

श्री. के.ए. सिंह लक्ष्मी (अभिजात)
(23 नो. 17)

माननीय महोदय,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि-विधान, क्षेत्राधिकार वाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकॉर्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना, जो आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है।

3

21/7/17



I. सि.प्र. (वि.प्र.) 2-2N/2017/2324

14-9-17

डा. वि. प्र. (वि. प्र.) 2-2N/2017/2324
के सि.प्र. 2-2N पर प्रस्ताव नोटिस में प्रकाश
किया जाता है। जो रा. प्र. प्र. है।

3

सि.प्र.